न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/321

प्रकरण संख्या 172/22

अनवान

1. बालूलाल पुत्र भंवरलाल जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. दिनेशकुमार पुत्र भंवरलाल जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी भीण्डर, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :— **दिनांक :—09.01.2023**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की खाता संख्या नया 1007 आराजी नंबर 737 रकबा 0.6100 हैक्टेयर भूमि में जो की वर्तमान मे बाबूलाल पिता भंवरलाल जणवा के नाम 2/9 हिस्सा व दिनेशलाल पिता भंवरलाल जणवा के के नाम 2/9 हिस्से से दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम अशुद्ध होने से प्रार्थीगण द्वारा अपना नाम बाबूलाल के बजाय बालूलाल व दिनेशलाल के बजाय दिनेशकुमार दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके तथ्य इस प्रकार है कि :—

I. राजस्व ग्राम खेरोदा की जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 1007 के आराजी नंबर 737 रकबा 0.6100 हैक्टेयर भूमि में यह खातेदार दिनेशलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 2/9 जाति जणवा, पुष्पेन्द्र पुत्र श्यामलाल हिस्सा 1/3 जाति जणवा, बाबूलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 2/9 जाति जणवा, श्यामलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 2/9 जाति जणवा के नाम दर्ज रिकार्ड है।

II. तहसीलदार भीण्डर द्वारा दिनेशलाल पुत्र भंवरलाल के बजाय दिनेश कुमार पुत्र भंवरलाल एवं बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जणवा के बजाय बालूलाल जणवा पुत्र भंवरलाल जणवा को शूद्ध किये जाने की अनुशंषा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:39:42 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। ... प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ... प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के

कथनानुसार ग्राम खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर की खाता संख्या नया 1007 में प्रार्थीगण का नाम दिनेशलाल पुत्र भंवरलाल जणवा व बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जणवा अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा नाम अशुद्ध होने से दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दिनेशलाल पुत्र भंवरलाल जणवा व बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जणवा अंकित है लेकिन प्रार्थीगण के आधार कार्ड में दिनेशकुमार पुत्र भंवरलाल जणवा व बालूलाल पुत्र भंवरलाल जणवा अंकित है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान ने बताया की दिनेशलाल व दिनेशकुमार पुत्र भंवरलाल जणवा दोनो एक ही व्यक्ति है एवं बाबूलाल व बालूलाल पुत्र भंवरलाल जणवा भी दोनो एक ही व्यक्ति है एवं उपरोक्त प्रार्थीगण दोनो नाम से जाने जाते है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति पेश की व कार्यालय ग्राम पंचायत खेरोदा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया गया कि दिनेशलाल व दिनेशकुमार दोनो एक ही व्यक्ति है एवं बाबूलाल एवं बालूलाल भी दोनो एक ही व्यक्ति है उपरोक्त दोनो को निजी तौर पर पहचानना बताया।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, कार्यालय ग्राम पंचायत खेरोदा का प्रमाण पत्र एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की खाता संख्या 1007 की आराजी नम्बर 737 रकबा 0.6100 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का नाम दिनेशलाल पुत्र भंवरलाल जणवा के बजाय दिनेशकुमार पुत्र भंवरलाल जणवा एवं बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जणवा के बजाय बालूलाल पुत्र भंवरलाल जणवा संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय ख़ुले ईजलास आज दिनांक 09.01.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:39:42 IST
Reason: SelfAttested